"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2013—श्रावण 28, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्रमांक 7881/डी. 254/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 32 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ण-क) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;"

धारा 30 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, शब्द "तहसीलदार" का लोप किया जाये.

धारा 34 का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की धारा 34 के खण्ड (ग) में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 35 का संशोधन.

5\. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) में, शब्द "आवेदन" के स्थान पर, शब्द "शपथपत्र सहित आवेदन" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 36 का संशोधन.

6\. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक पक्ष को, कार्यवाहियों के दौरान अधिकतम चार स्थगन दिये जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जायेगा."

धारा 46 का संशोधन.

7\. मूल अधिनियम की धारा 46 के खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36)" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 52 का संशोधन.

8\. (1) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवाई की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा."

(3) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवाई की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा."

9. मूल अधिनियम की धारा 53 में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9)" और "पुनर्विलोकन" के स्थान पर, क्रमशः शब्द, अंक तथा चिन्ह "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36)" और "पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 53 का संशोधन.**

मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 54 का संशोधन.**

"54. लंबित पुनरीक्षण.— इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी समस्त पुनरीक्षण जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित हो, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार से सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी, मानो कि यह अधिनियम, अधिनियमित ही न हुआ हो."

11. (1) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) में, शब्द "उपखण्डीय पदाधिकारी" के स्थान पर, शब्द "कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 57 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (3) तथा (4) का लोप किया जाये.

12. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2-क) में, शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 59 का संशोधन.**

13. मूल अधिनियम की धारा 78 का लोप किया जाये. **धारा 78 का संशोधन.**

14. (1) मूल अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 81 का संशोधन.**

"(4) गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (6) का लोप किया जाये.

15. मूल अधिनियम की धारा 97 का लोप किया जाये. **धारा 97 का संशोधन.**

16. मूल अधिनियम की धारा 98 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 98 का संशोधन.**

"98. उचित निर्धारण.— कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 81 में दिये गये सिद्धांतों और निर्बंधनों के अनुसार, संगणित तथा नियत किया जायेगा और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा."

धारा 99 का संशोधन. 17. मूल अधिनियम की धारा 99 का लोप किया जाये.

धारा 100 का संशोधन. 18. मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"100. **पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना.**— उन भूमियों की दशा में, जिन पर निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो; तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छः गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छः गुने के हिसाब से नियत किया जायेगा:

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहां ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जायेगा मानो कि वह सुधार नहीं किया गया था."

धारा 119 का संशोधन. 19. (1) मूल अधिनियम की धारा 119 की उप-धारा (1) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 119 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1-क) धारा 112 के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित सूचना एक माह के भीतर नहीं देता है, तो तहसीलदार पांच हजार रुपये से अनधिक अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा."

धारा 128 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम की धारा 128 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 130 का संशोधन. 21. मूल अधिनियम की धारा 130 में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 132 का संशोधन. 22. मूल अधिनियम की धारा 132 में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 133 का प्रतिस्थापन. 23. मूल अधिनियम की धारा 133 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"133. **बाधा का हटाया जाना.**— यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अवरोध डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल स्रोत में, जो धारा 131 के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अवरोध होता है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा."

धारा 143 का संशोधन. 24. मूल अधिनियम की धारा 143 में, शब्द "रकम के" के स्थान पर, शब्द "रकम से" प्रतिस्थापित किया जाये और शब्द "दस प्रतिशत से" को विलोपित किया जाये.

25. मूल अधिनियम की धारा 165 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 165 का संशोधन.**

"(4-क) (एक). उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि हेतु धारित भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा, जो वास्तविक कृषक नहीं है.

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "अन्तरण" की अभिव्यक्ति में, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण;
(ख) वैध वारिसों को वसीयत के द्वारा अन्तरण;
(ग) लोकहित में किया गया भू-अर्जन;
(घ) किसी धार्मिक या पूर्त (चैरिटेबल) प्रयोजन हेतु, न्यास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, शैक्षणिक संस्थाओं को या उनके लिए अन्तरण;
(ङ) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभागों, इकाईयों, निगमों एवं कंपनियों को, जो शासन के उपक्रम है, अन्तरण;
(च) ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय की गई भूमि, जो लोकहित में किये गये भू-अर्जन के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हों;
(छ) कलेक्टर की अनुज्ञा से, ऐसे अन्य व्यक्ति और ऐसी सीमा तक अंतरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाए.

(दो) राज्य सरकार, इस उप-धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी."

26. (1) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 172 का संशोधन.**

"परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये आरक्षित की गई है किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, का भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजनों, जिसके लिये वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, के लिए अथवा ऐसी भूमि या उसका कोई भाग जिसका निर्धारण कृषि प्रयोजन हेतु किया गया है तथा जो विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित है, औद्योगिक प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की सक्षम प्राधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी तथा ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं होगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (6-क) का लोप किया जाये.

27. मूल अधिनियम की धारा 200 में, शब्द "दो सौ" के स्थान पर, शब्द "दो हजार" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 200 का संशोधन.**

28. मूल अधिनियम की धारा 227 में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 227 का संशोधन.**

29. (1) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 234 का संशोधन.**

"(2). निस्तार पत्रक का प्रारूप, ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को विहित रीति में अभिनिश्चित करने के पश्चात्, उसे उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) इस प्रकार अंतिम किये गये निस्तार पत्रक की एक प्रति, ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी."

(3) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"(4) ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प पर, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् उप-खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा."

धारा 257 का संशोधन. 30. (1) मूल अधिनियम की धारा 257 में खण्ड (क) को खण्ड (क-1) के रूप में पढ़ा जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 257 में, खण्ड (क-1) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच, धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय."

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्रमांक 7881/डी. 254/21-अ/प्रारू/छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 32 of 2013)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act Bill further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (o) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (here-in-after referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :—

"(o-a) "Market Value" means the value of land assessed according to the guidelines issued by the Collector under the Chhattisgarh Bajar Mulya Margdarshak Siddhanton Ka Banaya Jana Tatha Unka Punrikshan Niyam, 2000 made under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899);"

Amendment of Section 30.

3. In sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act, the words "a Tahsildar" shall be omitted.

Amendment of Section 34.

4. In clause (e) of Section 34 of the Principal Act, for the word "fifty" the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 35.

5. In sub-section (3) of Section 35 of the Principal Act, for the word "apply", the words "apply along with affidavit" shall be substituted.

Amendment of Section 36.

6. (1) In sub-section (1) of Section 36 of the Principal Act, for punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(2) In sub-section (1) of Section 36 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that during the proceedings, maximum four adjournments may be granted to each party and each adjournment shall be granted only with costs."

Amendment of Section 46.

7. In clause (a) of Section 46 of the Principal Act, for the words, figures and symbols "the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908)", the words, figures and symbols "the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)" shall be substituted.

Amendment of Section 52.

8. (1) In sub-section (2) of Section 52 of the Principal Act, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(2) In sub-section (2) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the execution of the order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier."

(3) In sub-section (3) of Section 52 of the Principal Act, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(4) In sub-section (3) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that execution of the order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier."

Amendment of Section 53.

9. In Section 53 of the Principal Act, for the words, figures and symbols "the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908)" and "review", the words, figures and symbols "the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)" and "review and revision" shall be substituted respectively.

Amendment of Section 54.

10. For Section 54 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"54. **Pending revision.**— Notwithstanding anything contained in this chapter, all revisions pending before any Revenue Officer immediately before the coming into force of the Chhattisgarh Land Revenue (Amendment) Act, 2013, shall be heard and decided by such Revenue Officer as if this Act had not been enacted."

Amendment of Section 57.

11. (1) In sub-section (2) of Section 57 of the Principal Act, for the words "Sub-Divisional Officer", the word "Collector" shall be substituted.

(2) Sub-section (3) and (4) of Section 57 of the Principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 59.

12. In sub-section (2-a) of Section 59 of the Principal Act, for the words "Sub-Divisional Officer", the words "Competent Authority" shall be substituted.

Amendment of Section 78.

13. Section 78 of the Principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 81.

14. (1) For sub-section (4) of Section 81 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(4) The fair assessment on the land used for non-agricultural purposes shall be fixed in accordance with the rules made under Section 59."

(2) Sub-section (6) of Section 81 of the Principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 97.

15. Section 97 of the Principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 98.

16. For Section 98 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"98. **Fair assessment.**— The fair assessment of land used for agricultural purposes shall be calculated and fixed in accordance with the principles and restrictions set forth in Section 81 and land used for non-agricultural purposes shall be fixed in accordance with the rules made under Section 59."

Amendment of Section 99.

17. Section 99 of the Principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 100.

18. For Section 100 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"100. **Fixation of fair assessment at the time of revision.**— In case of lands, which are being assessed for a purpose with reference to which they were assessed immediately before the revision, the assessment so arrived at exceeds, in case of agricultural land one and half times the land revenue or rent and in the case of other lands six times the land revenue or rent payable immediately before the revision the assessment shall be fixed at one and a half times such land revenue or rent in the case of agricultural land and at six times such land revenue or rent in the case of other lands:

Provided that, where an improvement has been effected at any time in any holding held for the purpose of agriculture by or at the expense of the holder thereof, the assessment of such holding shall be fixed as if the improvement had not been made."

19. (1) In sub-section (1) of Section 119 of the Principal Act, for the word "twenty-five", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 119.

(2) After sub-section (1) of Section 119 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"(1-A) As required under Section 112, if Registering Officer does not provide the information prescribed under rules made under Section 110 within one month then Tahsildar may impose fine not exceeding five thousand rupees, which shall be recoverable as arrears of land revenue."

20. In sub-section (2) of Section 128 of the Principal Act, for the words "one rupee", the words "one hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 128.

21. In section 130 of the Principal Act, for the word "fifty", the words "five thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 130.

22. In Section 132 of the Principal Act, for the word "one thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 132.

23. For Section 133 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

Substitution of Section 133.

"**133. Removal of obstruction.**— If a Tahsildar finds that any obstacle impedes the free use of a recognized road, path or common land of a village or impedes the road or source of water which has been the subject of a decision under Section 131, he may order the person responsible for such obstacle to remove it and if such person fails to comply with the order, he may cause the obstacle to be removed and may recover from such person the cost of removal thereof and such person shall be liable, under the written order of Tahsildar stating the facts and circumstances of the case, to a penalty which may extend to ten thousand rupees".

24. In Section 143 of the Principal Act, the word "ten percent" shall be omitted.

Amendment of Section 143.

25. After sub-section (4) of Section 165 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 165.

"(4-A). (i) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), Bhumiswami shall not transfer his land held for agriculture to any person who is not a bonafide agriculturist.

Explanation— For the purpose of this sub-section, the expression "transfer" shall not include the following, namely :—

(a) transfer by way of inheritance;

(b) transfer to legal heirs by way of will;

(c) land acquisition in public interest;

(d) transfer to or for any religious or charitable purpose, for trust, health, culture purpose, educational institutions;

(e) transfer to department of State Government and Central Government, Units, Corporations and Companies, which are undertaking of the Government;

(f) land purchased by such person, who became landless due to land acquisition in public interest; or

(g) with the permission of the collector, for any person and to the extent as may be prescribed by the Government in this behalf.

(ii) The State Government may, by notification, makes rules for carrying out the provisions of this sub-section."

Amendment of Section 172.

26. (1) For second proviso to sub-section (1) of Section 172 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that if a Bhumiswami of a land, which is reserved for a purpose other than agriculture in the development plan but is used for agriculture, wishes to divert his land or any part thereof to the purpose for which it is reserved in the development plan, or land or any part thereof which is assessed for agricultural purpose and situated in any area other than an area covered by development plan to the purpose of industry, a written information of his intention, given by Bhumiswami to the Competent Authority shall be sufficient and no permission is required for such diversion."

(2) Sub-section (6-a) of Section 172 of the Principal Act shall be deleted.

Amendment of Section 200.

27. In Section 200 of the Principal Act, for the words "two hundred" the words "two thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 227.

28. In section 227 of the Principal Act, for the word "twenty", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 234.

29. (1) For sub-section (2) of Section 234 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(2) A draft of the Nistar Patrak shall be published in the village and after ascertaining the wishes of the Gram Sabha, as prescribed, it shall be finalised by the Sub-Divisional Officer."

(2) For sub-section (3) of Section 234 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(3) A copy of the Nistar Patrak so finalised shall be kept in the office of the Gram Panchayat."

(3) After sub-section (3) of Section 234 of the Principal Act, the following shall be added, namely :—

"(4) On a resolution passed by the Gram Sabha by a majority of not less than two third of members present and voting, the Sub-Divisional Officer with the prior sanction of the Collector and after making such enquiry, may amend the Nistar Patrak."

Amendment of Section 257.

30. (1) In Section 257 of the Principal Act, clause (a) shall be read as clause (a-1).

(2) In Section 257 of the Principal Act, before clause (a-1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(a) any decision regarding any right under sub-section (1) of Section 57 between the State Government and any person".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.